उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1,
संख्या-88/2015/2510/92-1-2015-47(अधि0)/2015,
लखनऊ: दिनांक: 30 जुलाई, 2015

कार्यालय-ज्ञाप (शुद्धि-पत्र)

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8818/62-3-2001-134डब्लू0पी0/84टी0सी0, दिनांक 14-12-2001 द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग के सहायक अभियंताओं की अन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत की गयी है। उक्त कार्यालय ज्ञाप के पृष्ठ संख्या-14 के "वरिष्ठता क्रमांक-104 पर श्री बिजेन्द्र कुमार का गृह जनपद-इटावा एवं जन्मतिथि 01-07-61 तथा वरिष्ठता क्रमांक-105 पर श्री बृजेन्द्र कुमार (अ.जा.) का गृह जनपद-सहारनपुर एवं जन्मतिथि 18-9-63" लिपिकीय त्रुटिवश अंकित हो गया है। इस त्रुटि को सही कर अपने नाम के सम्मुख सही गृह जनपद एवं जन्मतिथि दि0 18-9-1963 अंकित कर संशोधन जारी करने हेतु श्री बिजेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-संभल द्वारा अपने पत्रांक-243/ग्रा0अ0वि0/ व्य0प0/2015-16, दिनांक 02-6-2015 के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि वरिष्ठता क्रमांक-104 पर अंकित श्री बिजेन्द्र कुमार का गृह जनपद-सहारनपुर तथा जन्मतिथि 18-09-1963 है एवं वरिष्ठता क्रमांक-105 पर अंकित श्री ब्रजेन्द्र कुमार (अ.जा.) का गृह जनपद-इटावा एवं जन्मतिथि 01-07-1961 है। अत: उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14-12-2001 में "वरिष्ठता क्रमांक-104 पर श्री बिजेन्द्र कुमार का गृह जनपद-सहारनपुर एवं जन्मतिथि 18-09-1963 तथा वरिष्ठता क्रमांक-105 पर श्री ब्रजेन्द्र कुमार (अ.जा.) का गृह जनपद-इटावा एवं जन्मतिथि 01-7-1961" अंकित किया जाता है।

2- अत: उक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-8818/62-3-2001-134डब्लू0पी0/84टी0सी0, दिनांक 14-12-2001 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा/पढ़ा जाय।

डा0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-88/2015/2510(1)/92-1-2015-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अभ्युक्ति सहित कि कृपया प्रश्नगत दोनो अभियंताओं के सेवा संबंधी अभिलेखों में भी यथावश्यकता तदनुसार संशोधित कर लिया जाय।
2- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी क्षेत्र) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- सम्बन्धित अभियन्तागण द्वारा- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in